	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 18, सोमवार, शाके 1943-फरवरी 07, 2022 *Magha 18, Monday , Saka 1943- February 07, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 05, 2022

एस.ओ.391 :- राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17.10.2020, जो कि राजपत्र में एस.ओ. संख्या 391 दिनांक 17.10.2020 में प्रकाशित हुई है, द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 1 एवं 2 व उनकी प्रविष्ठियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"

1.	DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in→e-intimation या 181 हेल्प लाईन नंबर पर पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह आयोजित किये जाने पर एवं उक्त आयोजन में 250 से अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित करने पर ।	10,000/-
2.	किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार यथा 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के डबल-डोज वैक्सीन नही लगाने, फेस मास्क का अनिवार्य उपयोग नही करने, नो मॉस्क-नो एन्ट्री की पालना नही करने, सामाजिक दूरी की पालना नही करने, स्क्रीनिंग व स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन की पालना नही करने पर।	10,000/-

"

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. सौम्या झा,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.